GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
Self Valuation Report

Citizen Ref No : 25030342829	Presentation Date : 03/03/2025		Execution Date : 03/03/2025
Document Type : Inspection And Search - Inspection And Search (per year)			
SRO : JAIPUR-IX			Area Type : Urban

1. Property Details

i. Location Details (Property : 1)

Plot/Khasra No : ,
Applicable DLC :

ii. DLC Rates (In ₹)

Nature of Use(Category)	:	Latitude & Longitude	: -
Is Property On Main Road	: No	Road Width of Location	:
Applicable DLC Rate	: /	DLC Effective from	

iii. Land Value(In ₹)

Area of Property : Corner Plot : No Land Value : /-

iv. Construction Value(In ₹)

Is Property Constructed : No	Area of Construction : -- --	Year of Construction : --	
Floor Type : --			
Type of Construction : --			
Development Agency : --		Construction Value : /-	

iv. Boundary & Tinshade Value(In ₹)

Boundary wall :	Length : -- Mtr	Rate : /-	Amount : /-
Tinshade :	Area : -- Sq.Mtr	Rate : /-	Amount : /-

v. Other Fees(In ₹)

Common Space (Sq m) : /- Tube-well : /- Parking : /- Miscellaneous : /-

2. Memorandum & Commission(In ₹)

Commission Fees : -- /- No. of Memorandum : 0 Memorandum Stamps : 0 /-

3. Deposit/ Rebate(In ₹)

4. Applicable Value(In ₹)

Evaluated Value : 0 /- Face Value : 0 /- Applicable Value : 0 /-

5. Fees Description(In ₹)

Total Rebate[SD+RF+SC]	: 0/-	Document Rebate	: -
Stamp Duty	: 0 /-	CSI	: 0 /-
Stamp Duty Payable (SD)	: 0 /-	Surcharge Payable	: 0/-
Registration Fee	: 0/-	Surcharge Payable(10%SD)(SC)	: 0/-
Registration Fee Payable (RF)	: 0 /-	Surcharge Payable CP of cow(10%SD)(SC)	0/-
Penalty	: 0 /-	Surcharge Natural Calamities(10%SD)(SC):	0/-
Site Inspection Fees:	: 0/-	Net Payable	: 250
Total Amount(SD+SC+RF + CSI)	: 250 /-		
Stamp Duty Description	0/-		

6. Payment Details(In ₹) :

Disclaimer:

* This is subject to Final Valuation of Sub Registrar
*** This data will be stored only for 30 days after that it will be deleted.**

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: **0101559391** Payment Date: **03/03/2025 12:49:05**

Office Name: **Sub Registrar IX Registration & Stamps Jaipur**
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2024-To-31/03/2025

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	250.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	250.00

Two Hundred Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:		
Full Name: **HEMANT CHOUDHARY ADV**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode):	jaipur(000000)
Address:JAIPUR	Remarks:SEARCH FEES YEAR 2021 TO 2025, PROP ADD KHASRA NO. 248 VILLAGE MAANPUR TILAWALA TEH SANGANER JAIPUR SATYA NARAYAN BERIWAL	

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**SBIN10155939103032025**
Date:	03/03/2025 12:49:05	Refrence No:	**CK00GWUXJ1**

Computer generated copy on : 03/03/2025 ***Courtsy : https://Egras.rajasthan.gov.in***

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: **0101559391** Payment Date: **03/03/2025 12:49:05**

Office Name:	**Sub Registrar IX Registration & Stamps Jaipur**
Location:	JAIPUR (CITY)
Period:	01/04/2024-To-31/03/2025

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	250.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**250.00**

Two Hundred Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **HEMANT CHOUDHARY ADV**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(000000)
Address:JAIPUR	Remarks:SEARCH FEES YEAR 2021 TO 2025, PROP ADD KHASRA NO. 248 VILLAGE MAANPUR TILAWALA TEH SANGANER JAIPUR SATYA NARAYAN BERIWAL

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**SBIN10155939103032025**
Date:	03/03/2025 12:49:05	Refrence No:	**CK00GWUXJ1**

Computer generated copy on : ***03/03/2025*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.rajasthan.gov.in***

परिशिष्ट 3 फार्म संख्या 13

(नियम 130)

सामान्य निरीक्षण या तलाश का प्रार्थना-पत्र.......................को.................पंजीयन का कार्यालय

1. प्रार्थना-पत्र का दिनांक ....

2. प्रार्थी का नाम व पता ....
....
....

3. क्या प्रार्थी तलाश का परिणाम या भार का प्रमाण-पत्र डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है या इसे वह स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त करेगा या अपने द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा प्राप्त करेगा। ....
....
....

4. मुकद्में की संख्या और कार्यालय का नाम एवं मुकद्में के पक्षकारों के नाम आवश्यकतानुसार भरने चाहिए। ....
....

5. किस वर्ष या किन वर्षों की पुस्तक का निरीक्षण या तलाश करना है। ....

6. पुस्तक संख्या 3 व 4 के लेख्य पत्रों की अवस्था में प्रार्थी निरीक्षण करने अथवा तलाश करने का अधिकारी है यह प्रकट करने के लिए सूचना। ....
....

7. सम्पत्ति या सम्पत्तियों का विवरण	वर्तमान स्वामी या संयुक्त	स्वामी का नाम	टिप्पणी

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञानानुसार सत्य है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि लेखपत्र एक एवं उस ही व्यक्ति द्वारा निष्पादित न हुए हों या एक एवं उस ही व्यक्ति के पक्ष में न हो तो पृथक से शुल्क वसूल किया जावेगा। अन्तिम अवस्था में, ऐसे व्यक्ति का नाम और लेख्य पत्र से उसका सम्बन्ध लिखना आवश्यक है।

CS CamScanner

HEMANT CHOUDHARY
Advocate
Chamber No. 203, A-Block, Lawyer Chamber,
Rajasthan High Court, Jaipur

Office: - Second Floor, Lakshay Apartment,
Shanti Vihar, Kalyan Nagar, Tonk Road,
Jaipur- 302029
Email ID: - hemantjain1961996@gmail.com
Mob:-+91-9001690975

Date: - 25.02.2025

To,

The Registrar,
RERA, 2nd and 3rd Floor, RSIC Building,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.

Title Search Report of Khasra no. 248 Area measuring 1.3100 Hectare situated in Village Maanpur Tilawala, Tehsil Sanganer, District Jaipur, Rajasthan.

- Jamabandi of Samvat 2064-2067 corresponding to the Calendar Year 2007-2010 reflects Khasra no. 248 area measuring 1.3100 Hectare is recorded in name of Manoj Kumar son of Hanuman Prasad, by caste Meena, Resident of Plot no. 2608, Tailipada, Chora Raasta, Jaipur, as Khatedar.

- Jamabandi of Samvat 2068-2071 corresponding to the Calendar Year 2007-2010 reflects Khasra no. 248 area measuring 1.3100 Hectare is recorded in name of Manoj Kumar son of Hanuman Prasad, by caste Meena, Resident of Plot no. 2608, Tailipada, Chora Raasta, Jaipur, as Khatedar.

- Thereafter Khatedar Manoj Kumar son of Hanuman Prasad through his Power of Attorney Holder Shri Satya Narayan Beriwal son of Ratan Lal Beriwal, applied for land conversion of Agriculture land to Non-Agricultural (For Residential Use) of land bearing Khasra no. 248 area measuring 1.3100 Hectare, situated in Village Maanpur Tilawala, Tehsil Sanganer, District-Jaipur, before Zone-11, Jaipur Development Authority, Jaipur.

- Thereafter, Jaipur Development Authority, Jaipur vide its conversion order bearing no. Zone-11/2014/4204 dated 26.11.2014, converted the Agricultural land bearing Khasra no. 248 Area measuring 1.3100 Hectare, situated in Village Maanpur Tilawala, Tehsil Sanganer, District-Jaipur to Non-Agricultural Land (for Residential Use) and same was endorsed in Revenue records vide mutation no. 280 dated 28.07.2015.

CONCLUSION

That Shri Manoj Kumar Meena Son of Shri Hanuman Prasad Meena has executed a registered revocable Power of Attorney dated 26.07.1997 in favour of Shri Satya Narayan Beriwal son of Shri Ratan Lal Beriwal, which is duly registered before Sub-Registrar Sanganer on 26.07.1997 in Book no. 4 Volume no. 6 at Page no. 95 at Serial no. 57 and additionally pasted at Book no. 4, Volume no. 17, at Page no. 143 - 149.

HEMANT CHOUDHARY
Advocate
Chamber No. 203, A-Block, Lawyer Chamber,
Rajasthan High Court, Jaipur

Office: - Second Floor, Lakshay Apartment,
Shanti Vihar, Kalyan Nagar, Tonk Road,
Jaipur- 302029
Email ID: - hemantjain1961996@gmail.com
Mob:-+91-9001690975

It is Additionally submitted that the said Power of Attorney has not been revoked by Shri Manoj Kumar Meena till date, which was executed in favour of Shri Satya Narayan Beriwal, nor any such notice for revocation and no such case for cancellation of Power of Attorney is pending as per the records available and information provided by the Applicant.

I have examined all the above documents and aspects and come to the conclusion that Shri Satya Narayan Beriwal son of Ratan Lal Beriwal, by caste Agarwal, Resident of 32/32, Shastri Nagar, Shopping Centre, Jaipur, POA Holder of Shri Manoj Kumar Meena, have rights to sale or transfer the land bearing Khasra no. 248 area measuring 1.3100 Hectare, situated in Village Maanpur Tilawala, Tehsil Sanganer, District Jaipur. The chain of the Title of above-mentioned land, is complete and on search for the last four year the property is found free from all prior charges and encumbrances.

I certify that Shri Satya Narayan Beriwal son of Ratan Lal Beriwal, by caste Agarwal, Resident of 32/32, Shastri Nagar, Shopping Centre, Jaipur, POA Holder of Shri Manoj Kumar Meena have rights to sale or transfer the land bearing Khasra no. 248 Area measuring 1.3100 Hectare, situated in Village Maanpur Tilwala, Tehsil Sanganer, District Jaipur.

Regards

Hemant Choudhary
(Advocate)

Hemant Choudhary
Advocate

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मानपुर टीलावाला

पटवार हल्का :- पंवालिया

भू.अभि.नि. :- मुहाना

तहसील :- सांगानेर

जिला :- जयपुर

सम्वत :- 2064 - 2067

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 64

खाता संख्या पुराना :- 63

काश्तकार का नाम:-

मनोजकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जाति मीणा नि.प्लाट नं.2608 तेलीपाडा चौडा रास्ता जयपुर

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
229	0.6400	बारानी 2	0.6400	51.0200			
230	2.5100	बारानी 2	2.5100	0.0000			
231	0.3300	बारानी 2	0.3300	0.0000			
234	0.3200	बारानी 2	0.3200	0.0000			
235	0.5000	बारानी 2	0.5000	0.0000			
236	0.3900	जाव 3	0.2300	0.0000	242		
		चाही 3	0.1600	0.0000			
243	0.7600	बारानी 2	0.7600	0.0000			
244	0.6400	बारानी 2	0.6400	0.0000			
245	0.6400	बारानी 2	0.6400	0.0000			
248	1.3100	बारानी 2	1.3100	0.0000			
कुल खसरे - 10	8.0400		8.0400	51.02			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है|

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 25-Feb-2025

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मानपुर टीलावाला
पटवार हल्का :- पंवालिया
भू.अभि.नि. :- मुहाना
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

सम्वत :- 2068 - 2071
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 71
खाता संख्या पुराना :- 64

काश्तकार का नाम:-

मनोजकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जाति मीणा नि.प्लाट नं.2608 तेलीपाडा चौडा रास्ता जयपुर

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
229	0.6400	बारानी 2	0.6400	3.8400		नामा. स.: 280 - नि.दि.: 28/07/2015 - न्याया. आदेश से धारा 90क के द्वारा ख.न.229 रकबा 0.64हे., 230/1 रकबा 0.09हे., 234 रकबा 0.32हे., 235 रकबा 0.50हे., 236 रकबा 0.39हे., 248 रकबा 1.31हे., किता 6 कुलरकबा 3.25हे. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम अंकन स्वीकार हुआ। शेष ख.न.230 रकबा 2.42हे., बदस्तूर जमाबंदी रहा।	
230	2.5100	बारानी 2	2.5100	15.0600			
231	0.3300	बारानी 2	0.3300	1.9800			
234	0.3200	बारानी 2	0.3200	1.9200			
235	0.5000	बारानी 2	0.5000	3.0000			
236	0.3900	चाही 3	0.1600	2.9600	242		
		जाव 3	0.2300	2.1620			
243	0.7600	बारानी 2	0.7600	4.5600			
244	0.6400	बारानी 2	0.6400	3.8400			
245	0.6400	बारानी 2	0.6400	3.8400			
248	1.3100	बारानी 2	1.3100	7.8600			
कुल खसरे - 10	8.0400		8.0400	51.02			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है|

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 25-Feb-2025

20 Rs.

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

२०रु. TWENTY RUPEES 20RS

।। मुख्तारनामा आम ।।

मैं मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मीणा, जाति मीणा, आयु 21 वर्ष, निवासी प्लाट नंबर 2608, तेलीपाडा, चौडा रास्ता, जयपुर, राजस्थान का हूँ।

जो कि मेरी कृषि भूमि वाके ग्राम मानपूर टीलावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में है। जिसका खसरा नंबर 229 रकबा 0.64 हैक्टेयर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 235 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 243 रकबा 0.76 हैक्टेयर खसरा नंबर 244 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 230 रकबा 2.51 हैक्टेयर कुल कित्ता 10 रकबा 8.04 हैक्टेयर है।

Manoj Kumar Meena

१८०१

25 JUL 1997

३५

मनोज कुमार मीणा पं. हनुमान प्रसाद मीणा

चौड़ाखदा निः

शनिवार दि० 26 माह 7 सन् 97

जो 11 और 12 के मध्य श्री मनोज कुमार मीणा

पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 21 वर्ष जाति मीणा

व्यवसाय अध्ययन निवासी

तेलीपाड़ा चौड़ाखदा

द्वारा सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

Manoj Kumar meena

प्रस्तुतकर्ता

उप पंजियक

लालसोट

क्रमांक 3-6/56 दि० 26/7/97

पंजियन शुल्क 100

प्रतिलिपि शुल्क 85

अन्य शुल्क 15

कमी स्टाम्प शुल्क —

कुल योग 200

उप पंजियक, लालसोट

उक्त श्री मनोज कुमार मीणा

ने इस अनुमति नामा मुख्तार नामा को

पढ़, सुन व समझ कर निष्पादन करना

स्वीकार किया।

उप पंजीयक, लालसोट

Manoj kumarmeena

(निष्पादक)

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

5 भारत 5 SPECIAL ADHESIVE RUPEES FIVE

यह उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि 8.04 हैक्टेयर श्री सत्यनारायण पुत्र श्री भैरूराम जाति बैरवा आयु 49 वर्ष, निवासी ग्राम मानपुर टीलावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान, बहैसियत मुख्तार आम श्री कल्याण पुत्र श्री किशनलाल धानका जाति धानका, निवासी ग्राम मानपुर टीलावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी 456, डी.डी.ऐ. फ्लैट, न्यू रणजीत नगर, दिल्ली 8 से चार विक्रय पत्रों द्वारा खरीद की है, तथा चारों विक्रय पत्रों का पंजीकरण दिनांक 30.6.97 को उप पंजियक सांगानेर के यहां हो गया है। इन चारों विक्रय पत्रों का पंजीकरण संख्या निम्न प्रकार है :–

खसरा नंबर 229 रकबा 0.64 हैक्टेयर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 235 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 रकबा 1.79 हैक्टेयर के विक्रय पत्र का पंजीकरण पुस्तक संख्या I, जिल्द संख्या 225, क्रम संख्या 2445 पृष्ठ संख्या 45 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या I भाग संख्या 508 के पृष्ठ संख्या 192 से 198 तक पर किया गया है।

Manoj Kumar Meena

25 JUL 1997

39

अनोज कुमार मीणा व हनुमान प्रसाद मीणा

निष्पादन कर्ता की पहचान

(1) श्री राजगोपाल शर्मा

पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा

उम्र 52 एडवोकेट

बालाजी का नांगल

(2) श्री प्रहलाद सहाय

पुत्र श्री छोटूलाल उम्र 54 वर्ष

जाति तेली व्यापार

निवासी 2608 तेलीपाड़ा चौड़ा रास्ता

की है। जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किये गये।

उप पंजीयक

सांगानेर

आज दिनांक 26-7-97

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 6

क्रम संख्या 57 पृष्ठ संख्या 95

पर पंजिबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 17

के पृष्ठ संख्या 143 से 149 पर

चस्पा किया गया।

उप पंजियक, सांगानेर

5+5 Rs

कार्यालय ... सांगानेर जिला जयपुर, राज.

खसरा नंबर 236 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 243 रकबा 0.76 हैक्टेयर खसरा नंबर 244 रकबा 0.64 हैक्टेयर, कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर के विक्रय पत्र का पंजीकरण पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 225, क्रम संख्या 2446 पृष्ठ संख्या 46 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 508 के पृष्ठ संख्या 199 से 203 तक पर किया गया है।

खसरा नंबर 245 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248 रकबा 1.31 हैक्टेयर, कुल कित्ता 2 रकबा 1.95 हैक्टेयर के विक्रय पत्र का पंजीकरण पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 225, क्रम संख्या 2444 पृष्ठ संख्या 44 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 508 के पृष्ठ संख्या 187 से 191 तक पर किया गया है।

खसरा नंबर 230 रकबा 2.51 हैक्टेयर के विक्रय पत्र का पंजीकरण पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 225, क्रम संख्या 2447 पृष्ठ संख्या 47 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 508 के पृष्ठ संख्या 204 से 208 पर किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी रकबा 8.04 हैक्टेयर का मैं एक मात्र स्वामी व अधिकारी, तथा काबिज हूं और इसके विषय में मुझको हर प्रकार से हस्तान्तरित आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। यह सम्पूर्ण आरजी मैने आज तक किसी भी प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश आदि हस्तान्तरित नहीं की है। आज तक हर प्रकार से भार सरकारी, एवं जन साधारण से मुक्त है।

26.7.97
उप पंजीयक सांगानेर

Manoj Kumar meena

चूंकि मै अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की देखरेख एवं अग्रिम कार्यवाही करने में असमर्थ हूं इसलिये मैं मेरी और से श्री सत्यनारायण बेरीवाल जाति अग्रवाल आयु 50 वर्ष पुत्र स्व० श्री रतनलाल बेरीवाल, निवासी 31/32 शास्त्री नगर शॅपिग सेन्टर, जयपुर को नियुक्त कर अधिकार देता हूं कि उक्त मुख्तार आम मेरी और से उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी की देख रेख एवं अग्रिम कार्यवाही करे। इस उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरण अभी श्री कल्याण पुत्र श्री किशनलाल धानका जाति धानका, ग्राम मानपूर टीलावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नाम से ही है, अतः उक्त मुख्तार आम को अधिकार देता हूं कि इस सम्पूर्ण कृषि भूमि का नामान्तरण मेरे नाम खुलवा लेवे तथा उपरोक्त कृषि भूमि का लगान जमा करावे, परसीद प्राप्त करे, नाप करोव, पत्थरगढी करावे, लेवलिंग करावे यानि समतल करावें, काश्त करावे, आमद आराजी प्राप्त करे, उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से उपरोक्त भूमि में कुआ बनावे, मोटर पम्पिग सैट लगावे, पावर कनेक्शन लेवे, जेट पम्प लगावे, बिल जमा करावे, रसीद प्राप्त करे, उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से उपरोक्त भूमि में किसी व्यक्ति से काश्त करावे, किसी व्यक्ति को लीज पर देवे, लीज मनी प्राप्त करे, रसीद देवे, इस विषय में कोई दस्तावेज आदि तैयार करावे, उस पर मेरी ओर से हस्ताक्षर करे।

उक्त मुख्तार आम श्री सत्यनारायण बेरीवाल पुत्र स्व० श्री रतनलाल बेरीवाल को अधिकार देता हूं कि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि को कृषि भूमि से रिहायशी, औद्योगिक, रिसोर्ट या अन्य किसी प्रकार से रूपान्तरण की कार्यवाही करे तथा इस विषय में कोई प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र,

उप पंजीयक सांगानेर

Manoj Kumar Meena

अन्डरटेकिंग, बॉन्ड, इत्यादि पर मेरी ओर से हस्ताक्षर करे, तथा रूपान्तरण की फीस या अन्य कोई भी रकम मेरी ओर से जमा करावे, रसीद प्राप्त करे तथा मेरी से से रूपान्तरण विभाग या अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में उपस्थित होकर बयान हलफिया देने, तस्दीक करावे, तथा इस विषय में समस्त लिखित एवं मौखिक कानूनी कार्यवाही करे।

उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से उपरोक्त वर्णित आराजी किसी व्यक्ति को किसी कीमत में विक्रय आदि करें, इस विषय में कोई इकरारनामा, विक्रय पत्र आदि तैयार करावे, उसपर मेरी ओर से हस्ताक्षर करके एडवांन्स रूपया अथवा कुल रूपये प्राप्त करे, रसीद देवे, उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से उपरोक्त आराजी के विषय में कोई प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, अन्डरटेकिंग, बॉन्ड, इत्यादि देवे, बयान हलफिया देवे। तस्दीक करावे, तथा किसी कार्यालय से कोई एन.ओ.सी. अथवा स्वीकृति पत्र आदि प्राप्त करे, उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से उपरोक्त वर्णित आराजी का मुआवजा राज्य या केन्द्र सरकार अथवा अन्य विभाग आदि से प्राप्त करें, रसीद देवे। उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का एक विक्रय पत्र अथवा खण्डों में विक्रय पत्र तैयार कराकर सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार कार्यालय, सांगानेर जिला जयपुर में रजीस्ट्री करावे, फीस जमा करावे, रसीद प्राप्त करे, बयान देवे, हस्ताक्षर करे, तथा उपरोक्त भूमि तथा सम्पूर्ण सम्पत्ती का कब्जा देवे। उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण सम्पत्ती को विषय में समस्त लिखित एवं मौखिक कानूनी कार्यवाही करे।

उप पंजीयक सांगानेर

Manoj Kumar meena

उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से किसी प्राईवेट लिमिटेड या लिमिटेड कम्पनी में शेयर खरीदे शेयर एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करें, एलोटमेन्ट एवं शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त करे, तथा शेयर की कीमत चुकावे तथा उपरेक्त वर्णि सम्पूर्ण भूमि को किसी प्राईवेट लिमिटेड या लिमिटेड कम्पनी को हस्तान्तरित करे तथा हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जो भी लिखित एवं मौखिक कार्यवाही की आवश्यकता हो, मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर करके सम्पूर्ण कार्यवाही करे।

यह है कि उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी के विषय में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो तो उक्त मुख्तार आम मेरी ओर से किसी भी न्यायालय में दिवानी अथवा फौजदारी में कोई दावा, जवाब दावा, निगरानी, नजरसानी, बाजदारी, अपील, रिट, राजीनामा, इत्यादि प्रस्तुत करे। इसक विषय में कोई एडवोकेट, बैरिस्टर, ऐजेन्ट इत्यादि नियुक्त करे, उन्हे मेहनताना देवे तथा हटावे।

मतलब यह है कि उक्त मुख्तार आम श्री सत्यनारायण बेरीवाल मेरी ओर से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 229 से 231 एवं 234 से 236, 243 से 245, एंव खसरा नंबर 248 कुल कित्ता 10 रकबा 8.04 हैक्टेयर के विषय में निचे थाना तहसील से लेकर उपर समस्त कार्यालयों एवं न्यायालयों में लिखित एवं मौखिक कानूनी कार्यवाही करे। उनका तमाम किया और बनाया कार्य मुझको अपने स्वयम् के किये समान

26.7.17
उप पंजीयक सांगानेर

Manoj Kumar meena

स्वीकार एवं अंगीकार होगा। उपरोक्त सम्पत्ती पर मेरा कब्जा है। यह मुख्तार नामा आम मै कभी भी निरस्त करवा सकता हूं।

अतः यह मुख्तारनामा मैने अपनी राजी खुशी, स्वस्थ चित्त तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में 30 रूपये के दो कित्ता स्टाम्प व चार ग्रीन पेपरों पर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

दिनांक 26.7.97

हस्ताक्षर Manoj Kumar Meena

हस्ताक्षर गवाह १ श्यामलाल शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा ग्राम कालावाला तह॰ सांगानेर

प्रहलाद साहू हस्ताक्षर गवाह २ प्रहलाद साहू पुत्र श्री छोटूलाल साहू म॰नं॰ 2608 तेलीपाड़ा चौड़ा रास्ता जयपुर

मजमून कर्ता- श्यामलाल शर्मा एडवोकेट

26.7.97

S. G. SHARMA
ADVOCATE
SANGANER JAIPUR

26.7.97

उप पंजीयक सांगानेर.

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 268 और वर्ष 2014

मनोजकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जाति मीणा नि. प्लाट नं. 2608, तेलीपाडा, चौडा रास्ता, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम सत्यनारायण बेरीवाल पुत्र स्व. श्री रतनलाल बेरीवाल नि. 31/32, शास्त्री नगर शॉपिंग सेन्टर, जयपुर।

.... आवेदक

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

<u>आदेश</u>

दिनांक 26/11/14

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैः–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्ट. में	स्वामित्व
तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	ग्राम मानपुर टीलावाला	248	1.31	मनोजकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जाति मीणा नि. प्लाट नं. 2608, तेलीपाडा, चौडा रास्ता, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम सत्यनारायण बेरीवाल पुत्र स्व. श्री रतनलाल बेरीवाल नि. 31/32, शास्त्री नगर शॉपिंग सेन्टर, जयपुर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 248 रकबा 1.31 हैक्ट. में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
7. यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 26.11.2014 को पारित किया गया।

(राजकुमार सिंह)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
दिनांक 26/11/14

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–11/2014/4204

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन कमांक 199280 दिनांक 11.9.14 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजकुमार सिंह)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।